



पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय:- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज उ०प्र०, (भारत)-273303

E-mail: seedcmaharajganj@gmail.com


CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक : 991 /वि०वि०मं०(मह०)/

दिनांक : 05-05-2026

-: ई-निविदा विस्तारिकरण सूचना :-

एतद्वारा इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई-निविदा संख्या - 01/वि०वि०मं०(मह०)/2026-27, 02/वि०वि०मं०(मह०)/2026-27, 03/वि०वि०मं०(मह०)/2026-27 एवं 04/वि०वि०मं०(मह०)/2026-27 आमंत्रित की गई है, जिसके वेब साईट पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि 05.05.2026 (समय 02:00 बजे) एवं खुलने की तिथि 05.05.2026 (समय 05:00 बजे) निर्धारित है। को अपरिहार्य कारणों से दिनांक 13.05.2026 (समय 02:00 बजे) एवं खुलने की तिथि 13.05.2026 (समय 05:00 बजे) विस्तारित की जाती है। उक्त ई-निविदा की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

  
(वाई०पी० सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता

Bold  
Hindi font-Kruti Dev 010  
size 12  
English font- Times new  
roman size 10

8 cm

Bold  
Hindi font-Kruti Dev 010  
size 14  
English font- Times new  
roman size 12

**पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०**

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज

ई-निविदा शुद्धि पत्र सूचना

दिनांक : 23.04.2026

शुद्धि पत्र

- 1 ई निविदा संख्या 2 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय आनन्दनगर
  - 2 ई निविदा संख्या 3 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड- नौतनवां।
  - 3 ई निविदा संख्या 3 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड- निचलौल।
- पट्टा, लिखा एवं समक्षा जाये।

शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(वाइ०पी०/सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता



## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय:- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज उ०प्र०, (भारत)-273303

E-mail: seedcmaharajganj@gmail.com

CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक : 685 / वि०वि०मं०(मह०) /  
सेवा में,

दिनांक : 23-04-2026


1. विज्ञापन व्यवस्थापक,  
आज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक गोरखपुर।

2. विज्ञापन व्यवस्थापक  
गोरखपुर मेल, गोरखपुर।

महोदय,

- कृपया संलग्नक विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 24.04.2026 तक के अंक में 'कम से कम स्थान में' (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 12 प्वाइंट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 10' प्वाइन्ट टाइप में) (समाचार पत्र में केवल "एक कालम में") प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे के नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
- समाचार पत्रों में उक्त निविदा प्रकाशन 08 से०मी० चौड़ाई के कॉलम (Equivalent to 2 columbs of newspaper) में प्रकाशित कराया जाये।
- ई-निविदा प्रकाशन करने में निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 488/रेस्पो/द्वि०प्र० दिनांक 06.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का पूर्ण अनुपालन कराया जाये।
- स्थानीय प्रकृति की सूचनाएं जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिल के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथासम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, डी.ए.वी.पी. की दरों की प्रमाणित प्रति में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी को एवं अधोहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में और हिन्दी भाषा के समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजकों का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक-विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

  
वाई०पी० सिंह  
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक- / वि०वि०मं०(म०) /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युतनगर, पो० डी०एल०डब्ल्यू०, वाराणसी।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, महाराजगंज/द्वितीय-आनन्दनगर/निचलौल/नौतनवां/परी० खण्ड-महाराजगंज।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड।

संलग्नक-विज्ञापन आदेश।

वाई०पी० सिंह  
अधीक्षण अभियन्ता



## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय:- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज उ०प्र०, (भारत)-273303

E-mail: seedcmaharajganj@gmail.com CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक : 662 / वि०वि०मं०(मह०) /  
सेवा में,

दिनांक : 20/04/2026


1. विज्ञापन व्यवस्थापक,  
आज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक गोरखपुर।

2. विज्ञापन व्यवस्थापक  
गोरखपुर मेल, गोरखपुर।

महोदय,

- कृपया संलग्नक विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 21.04.2026 तक के अंक में "कम से कम स्थान में" (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 12 प्वाइंट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 10' प्वाइन्ट टाइप में) (समाचार पत्र में केवल "एक कालम में") प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे के नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मीटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
- समाचार पत्रों में उक्त निविदा प्रकाशन 08 से०मी० चौड़ाई के कॉलम (Equivalent to 2 columbs of newspaper) में प्रकाशित कराया जाये।
- ई-निविदा प्रकाशन करने में निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 488/रेस्प०/द्वि०प्र० दिनांक 06.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का पूर्ण अनुपालन कराया जाये।
- स्थानीय प्रकृति की सूचनाएं जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिल के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथासम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, डी.ए.वी.पी. की दरों की प्रमाणित प्रति में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी को एवं अधोहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में और हिन्दी भाषा के समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजकों का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक-विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

  
वाई०पी० सिंह  
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक-

/ वि०वि०मं०(म०) /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युतनगर, पो० डी०एल०डब्ल्यू०, वाराणसी।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, महाराजगंज/द्वितीय-आनन्दनगर/निचलौल/नौतनवां/परी० खण्ड-महाराजगंज।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड।

संलग्नक-विज्ञापन आदेश।

वाई०पी० सिंह  
अधीक्षण अभियन्ता



Bold  
Hindi font-Kruti Dev 010  
size 12  
English font- Times new  
roman size 10

8 cm

Bold  
Hindi font-Kruti Dev 010  
size 14  
English font- Times new  
roman size 12

<b>पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०</b> <b>अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज</b>	
<b>ई-निविदा सूचना</b>	<b>दिनांक : 18.04.2026</b>
<b>निविदा सं. एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण</b>	
1. 1/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रु० 3540,घरोहर धनराशि-रु० 43000	
2. 2/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रु० 3540,घरोहर धनराशि-रु० 17300	
3. 3/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रु० 3540,घरोहर धनराशि-रु० 17300	
4. 4/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रु० 3540,घरोहर धनराशि- रु० 29000	
ई-निविदा की अन्तिम तिथि : 05 मई 2026, 14.00 बजे।	
विरतुत जानकारी एव प्रपत्र वेबसाइट <a href="https://etender.up.nic.in">https://etender.up.nic.in</a> पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएँ वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।	

(वाई०पी० सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता



## दो बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को भेजा जेल

**अपराध संवाददाता**  
गोरखपुर, २० अप्रैल। शाहपुर थाना क्षेत्र में बीते दिन दो मासूमों के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल

लड़की के कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम किया, किसी तरह वह बहसी दरिंदे से छुड़ाकर अपनी मां के पास पहुंचकर उसे आपबीती बताई, महिला जब बच्चों के साथ

महिला अपने परिवार के साथ क्षेत्र में एक मकान में किराये का कमरा लेकर रहती है, खुद दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके परिवार का भरण पोषण करती है, महिला के साथ उसकी भाभी भी अपनी चार साल की बच्ची के साथ रहती है, इसी मकान में एक अन्य कमरे में गोला



भेज दिया है। आरोपी युवक गोला थाना क्षेत्र का निवासी है जो शहर में किराये का कमरा लेकर मजदूरी करता है, पड़ोसी किरायेदार को ७ व ४ वर्षीय दो मासूम बच्चियों को उसने देशमार्ग टाफी देने के बहाने कमरे में बुलाया था, जहां पहले बड़ी

आरोपी के कमरे में पहुंची तो वह दूसरी ४ वर्षीया मासूम के साथ वहाँ हरकत करने की कोशिश कर रहा था, महिला लात रोंगहाथ पकड़े जाने पर आरोपी महिला को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि सतकबीरनगर जनपद की निवासी

## टाफी देने के बहाने कमरे में बुलाकर उतारे कपड़े, दिया घटना को अंजाम

थानान्तर्गत परसिया गांव निवासी आकाश २८ किराये पर रहता है, वह मजदूरी करता है। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रविवार को गिरफ्तार कर लिया, बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

## महापौर, नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

गोरखपुर, २० अप्रैल। 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा राप्ती इको पार्क के उद्घाटन के दृष्टिगत आज महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा राप्ती इको पार्क का निरीक्षण कर समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियंता अशोक भार्ता को निर्देशित किया गया। प्रायोगिक परीक्षा 28 को गोरखपुर, २० अप्रैल। महामा गांधी पी जी कॉलेज के एमएससी प्राणि विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर (कोट विज्ञान) के छात्र-छात्राओं की बाह्य प्रायोगिक परीक्षा 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को प्रातः 8 बजे से विभाग में संपन्न होगी। उक्त जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं को सूचित करते हुए कहा कि विस्तृत जानकारी हेतु छात्र-छात्राएं संबंधित विभाग से संपर्क करें।

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम CHOWDHARY NARENDRA DIGVIJAYNATH से बदलकर NARENDRA CHOWDHARY रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समाज जाए। NARENDRA CHOWDHARY पुत्र DIGVIJAYNATH CHOWDHARY ग्राम लोईयाभार पोस्ट धरौरेपार बड़या जिला संतकबीरनगर 272176

**सूचना-सूचित** करना है कि मेरी पत्नी का सही नाम व जन्म तिथि सीता रामी देवी, जन्म तिथि 10 जनवरी 1968 है, जबकि त्रुटिवश मेरे सर्विस रिकार्ड में सीताराम देवी, जन्म तिथि 16 अगस्त, 1967 दर्ज है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। **सेना सं० 14475628एन एक्स हवलदार शम्भू शरण उपाध्याय**, आर्टिलरी ग्राउन्ड-नुआ पो-० धौला पण्डित, तहसील बरहज जिला देवरिया (उ०प्र०) 274604.

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र विनोद पाण्डेय के आचरण व व्यवहार से श्रेष्ठ होकर व व्यवहार से श्रेष्ठ होकर मैं उसे अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूँ। अब हमारा इससे कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा। अपने कृत्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। **रूपा पाण्डेय W/O अश्वनी पाण्डेय**, पता-बसहिया माता मंदिर, नरिया टोला, हरसेवकपुर नं.-2, तहसील-सरद, जिला-गोरखपुर।

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2024 अनुक्रमांक 2247153457 का प्रमाण पत्र सह अंकपत्र वास्तव में खो गया है। **प्रवीण सोनकर** पुत्र संतराम, ग्राम व पोस्ट नेवादा नंदनगर जिला-बरती

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ANJUM FATMA एवं जन्म तिथि 01-07-2008 दर्ज है जो गलत है मेरे सही दस्तावेज में मेरा नाम NOOR FATIMA एवं जन्म तिथि 09-06-2009 दर्ज है जो सही है। मुझे **NOOR FATIMA** पुत्री मोहम्मद मिनहाज अली से जाना एवं पहचाना जाये। ग्राम मेडीपट्टी बेलवनिया, पोस्ट-मेहाहरहंगपुर, जिला देवरिया।

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2013-2015 अनुक्रमांक 5050275 के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम वी एन मौर्य दर्ज हो गया है, जबकि उनका सही नाम बृजनाथ मौर्य है। उनको इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए। **आशुतोष कुमार मौर्य** पुत्र बृजनाथ मौर्य 169 टीसीसी कॉलोनी झरना टोला पोस्ट कूड़ाघाट गोरखपुर उ.प्र.

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम SHAJAD HUSAIN से बदलकर SHAHJAD HUSAIN रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। **SHAHJAD HUSAIN S/O MUBARQA** निवासी ग्राम पडरी, पिपरपति, पोस्ट पिपरपति, जिला कुशीनगर

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र का नाम नितेश से बदलकर नितेश यादव रख दिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए। **देवेन्द्र निवासी** बैरिया राजा पोस्ट टेंकुआ जिला देवरिया 274182

**गुमशुदा सूचना**  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18-04-2026 को सुबह लगभग 8.30 बजे से शिवम दुबे (उम्र लगभग 11 वर्ष) पुत्र मनीष दुबे निवासी वार्ड नंबर 14 फाजिलनगर, थाना पटहरवा, जनपद कुशीनगर अपने घर से लापता हो गये है। पहचाना-सफेद रंग का पेंट शर्ट स्कूल ड्रेस, काला रंग का हवाई चप्पल है। कृपया इस बालक के बारे में कोई जानकारी होने पर तत्काल निम्न नंबरों पर सूचना दें-**क्षेत्राधिकारी तमकुहीनगर-9454401421, थानाध्यक्ष पटहरवा-9454403815, 9151008321**

**सूचना-नगर पंचायत सलेमपुर** के सोमान्तर्गत वार्ड नं.-02 टाकर नगर पश्चिम (पिपरा नाजीर) भवन संख्या 63 के स्वामी मंजू देवी पत्नी अरविन्द गुप्ता के विक्रय के बाद सुनिता देवी पत्नी रामतपस्या का नाम व इचौना पूर्ण वार्ड नं.-06 के भवन संख्या 133क के स्वामी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी अशोक कुमार के विक्रय के बाद श्रीमती बिन्दा देवी पत्नी छेदी प्रसाद का नाम दर्ज किया जाना है यदि इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है अन्यथा नाम दर्ज कर दिया जायेगा। **अधिशासी अधिकारी, नगर सलेमपुर (देवरिया)**

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम DHARMENDRA से बदलकर DHARMENDRA SINGH रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। **DHARMENDRA SINGH S/O BHARATH** निवासी ग्राम परसा उर्फ सिरसिया, पोस्ट तमकुहीराज, जिला कुशीनगर

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम अंगद से बदलकर अंगद पटेल कर लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए। **अंगद पटेल** पुत्र मंगरू, ग्राम व पोस्ट-मधुवनी, थाना-चौक, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273307.

**कार्यालय बरिष्ठ प्रबन्धक विद्युत खण्ड-नृतीय**  
**UPSIDA** उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ए-1/4 लखनपुर, कानपुर  
ई-निविदा सूचना  
एल्यूमीनियम सिलिकेट का निर्माण करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन, अल्यूमीनियम का निर्माण करने के लिए विद्युत कनेक्शन उपकरणों / विनोद / प्रतिक्रिया / परिचालन / नगर निगमों में प्रयोग के लिए विद्युत कनेक्शन उपकरणों / उपकरणों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 04.04.2026 को अपनार 04.00 बजे से दिनांक 15.05.2026 को अपनार 05.00 बजे तक अल्यूमीनियम का निर्माण करने की मूल प्रतियां दिनांक 15.05.2026 को सांठ 05.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदा सम्बन्धी विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)
1.	Design fabrication, Supply and Installation of flag type service QR Code Signage board in various Industrial Areas (Balance Work & New Industrial Area) Under E-II.	15.34

नोट:- 1. निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर्तव्य सही ढंग से अंकित करनी चाहिए। जी.ए.डी. अलग से देय होगी।  
2. विद्युत कार्यो की निविदादाताओं को निविदा उपलब्ध करने समय 'विद्युत सुरक्षा विभाग' उ.प्र. शासन, लखनऊ में अपनी 'क' अनुमोदित लाइसेंस अर्पण कर अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी विवरण जानकारी के लिए वेबसाइट [www.onlineupsida.com](http://www.onlineupsida.com) पर विवरण ई-सिक एवं यूटिलिटी की वेबसाइट [tender.up.nic.in](http://tender.up.nic.in) पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के श्री गुणविर सिंह बरिष्ठ प्रबन्धक (वि.) के कार्यालय नं. 920660117 पर सम्पर्क किया जा सकता है।  
बरिष्ठ प्रबन्धक विद्युत खण्ड-नृतीय उ.प्र. शा. औ. वि. नि., कानपुर

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2019 में जारी पी.एच.डी. की डिग्री जिसका सर्टिफिकेट नं.-824605 एवं नामांकन संख्या-FI-2770 है, वास्तव में खो गया है। **डा. सोनिया मोदी** पुत्री श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, 153-पहाड़पुर हालसीगंज रोड, गोरखपुर।

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम राजू प्रसाद से बदलकर राजू रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए। **राजू** पुत्र कैलाश प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम केवटली खास पोस्ट हेमधापुर थाना पिपराइच जिला गोरखपुर

**पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
**अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज**  
ई-निविदा सूचना  
दिनांक: 18-04-2026  
**निविदा सं. एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण**  
1. I/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रू. 3540, धरोहर धनराशि- रू. 430000  
2. I/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रू. 3540, धरोहर धनराशि- रू. 173000  
3. I/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रू. 3540, धरोहर धनराशि- रू. 173000  
4. I/EDC(M)MRJ/2026-27 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य प्रपत्र शुल्क-रू. 3540, धरोहर धनराशि- रू. 290000  
ई-निविदा की अन्तिम तिथि: 05 मई 2026, 14.00 बजे।  
विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://tender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अप्रैल समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।  
अधीक्षक अभियन्ता  
पत्रांक: 662/वि.वि.मं. (मह.)/दिनांक: 20-04-2026

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम रामब्रिक्श यादव से बदलकर देवीलाल प्रजापति कर लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। **देवीलाल प्रजापति** पुत्र बसंत, ग्राम आराजी बनकट, पोस्ट पतरा बाजार, जिला गोरखपुर, पिन 273152

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र का नाम राजू प्रसाद से बदलकर राजू रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए। **राजू** पुत्र कैलाश प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम केवटली खास पोस्ट हेमधापुर थाना पिपराइच जिला गोरखपुर

**रामचन्द्र मनीष कुमार महाविद्यालय**  
पकड़ी बांगर, रामकोला, जनपद कुशीनगर  
**आवश्यकता है**  
प्रवक्ता-सूची 1 पद, इतिहास 1 पद, बी.सी.ए प्रवक्ता 3 पद, यू.जी.सी. मानकानुसार व विध्यालय परिणामावली के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन के 21 कार्य दिवस के अंदर समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय कार्यालय में सम्पर्क करें।  
**प्राचार्य**  
संपर्क नं-0-9350583318 9560312973

**सूचना-सूचित** किया जाता है मेरे सभी कागजातों में मेरा नाम मंसूर खा दर्ज है जो सही है त्रुटि बस में मेरे इडवरि लाइसेंस में मेरा नाम मुहम्मद मंसूर अली दर्ज हो गया है जो गलत है मुझे मेरे सही नाम मंसूर खा के नाम से ही जाना व पहचाना जाए। **मंसूर खा** पुत्र हसीन खा, ग्राम-रजवल मरह-पो 0 सिन्धवा बाजार जनपद महाराजगंज

**सूचना-सर्वसाधारण** को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम देवीलाल से बदलकर देवीलाल प्रजापति कर लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। **देवीलाल प्रजापति** पुत्र बसंत, ग्राम आराजी बनकट, पोस्ट पतरा बाजार, जिला गोरखपुर, पिन 273152

## संघ राष्ट्र निर्माण की साधना पर चलता है-मुकुल कानिटकर

गोरखपुर, २० अप्रैल। संघ शताब्दी वर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर उत्तर भाग द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य श्रीमान मुकुल

निर्माण की साधना पर चलता है और कार्य की मुख्य धारा में युवा मुख्य इकाई के रूप में केंद्रित हैं। इसलिए आज की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

अपने संबोधन में बताया कि जब-जब देश और समाज पर संकट की स्थिति आई है, तब-तब युवाओं ने ही सेवा भाव के साथ संघर्ष करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकुल कानिटकर ने शताब्दी वर्ष की जानकारी देते हुए बताया कि समाज के अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने के लिए युवा सम्मेलन किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से ऐसे लोग भी संघ से जुड़ रहे हैं, जो अब तक संघ कार्य में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके लिए पोधारोपण, संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग पर रोक जैसे कदम आवश्यक हैं। कार्यक्रम का संचालन बहन प्रथिता ने किया तथा कार्यक्रम की प्रस्ताविका डा. अखिलेश्वर ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संघचालक डॉ. महेंद्र अग्रवाल, सह भाग कार्यवाह संतोष पांडेय, मुख्य मार्ग प्रमुख प्रवीण, जिला प्रचारक आशुतोष, सह भाग कार्यवाह राजेश, डॉ. पी. एन. सिंह, डॉ. स्वाति, डॉ. साक्षी, मोनिका अग्रवाल, डॉ. हरिश्चंद्र सहित अनेक स्वयंसेवक, युवा नागरिक, मातृशक्ति एवं युवा उपस्थित थे।



इस दृष्टिकोण की सार्थकता तभी संभव है जब युवा इस भाव को अपने जीवन में उतारें, किन्तु इस भागदोड़ एवं बाजारोपण के प्रभाव ने युवाओं को उनके मार्ग से दूर कर दिया है। युवा संवाद आज संबोधित करते हुए कहा कि संघ का कार्य केवल संघर्ष तक रहकर भारत को संगठित बनाना है। उन्होंने

कालेज सुर्जों में बताया कि ग्रायल मानसिक रोगी का इलाज लम्बे समय से चल रहा है वह कालेज के मानसिक रोग विभाग के वार्ड में भर्ती है, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाकर दोबारा वार्ड में पहुंचाया। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष गुलरिहा इत्यादि पाण्डेय ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

## मेडिकल छात्रों ने मानसिक भटहट क्षेत्र में बिना पंजीकरण धड़ले से रोगी को जमकर पीटा चल रहे हास्पिटल व नर्सिंग होम

**अपराध संवाददाता**  
गोरखपुर, २० अप्रैल। वीआरडी मेडिकल कालेज में बीती रात एमबीबीएस छात्रों द्वारा एक मानसिक रोगी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में

पहनावे को देखकर उसने कमेंट कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे एमबीबीएस के छात्रों ने एकजुट होकर उसकी पीटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान मानसिक रोगी की पत्नी जो खुद कालेज की कर्मचारी है चीखती चिल्लाती रही कहती रही कि उसके पति की मानसिक दशा ठीक नहीं है उसका इलाज चल रहा है बावजूद इसके हमलावर उसे पीटते रहे।

गोरखपुर, २० अप्रैल। जनपद के भटहट क्षेत्र में दर्जनों नर्सिंग होम व हास्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं इन अस्पतालों को सम्बन्धित विभाग से ना एन ओ सी मिली है और ना तो अनिशामन का लाइसेंस प्राप्त है फिर भी अवैध रूप से यहां के अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा भटहट प्रतिनिधि के अनुसार ज्यादातर अस्पताल और नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज करते अप्रशिक्षित डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मिलेंगे जो मरीज के जीवन से खेल रहे हैं क्षेत्र में फैले ऐसे नर्सिंग होम और अस्पताल भी हैं जो मरीजों को लुभाने के लिए अल्ट्रासाउंड तथा एक्सरे की मशीनें लगाए हुए हैं और इनके द्वारा गरीब बेवहार मरीजों को अपने हिसाब की रिपोर्ट दी जाती हैं जिससे इलाज के दौरान मोटी रकम मरीजों से वसुली का सुकने इन अस्पतालों ने मेडिकल की दुकानें भी बनी हुई हैं केवल मरीजों का शोषण

करने का काम कर रही है बड़ा सवाल यह उठता है कि यहां बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध रूप से अस्पतालों और नर्सिंग होम की जानकारी क्या विभाग को नहीं है और अगर है तो फिर कार्यवाही कब होगी।

## महिला छात्रावास के पास छात्रा के पहनावे को लेकर किया था कमेंट

आया है, पीड़ित रोगी की पत्नी कालेज में ही स्टॉप नर्स के पद पर तैनात है और परिसर में ही रहती है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाकर दोबारा वार्ड में पहुंचाया। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष गुलरिहा इत्यादि पाण्डेय ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

गोरखपुर, २० अप्रैल। आज अपर गंगा आयुक्त (विकास) नोडल अधिकारी परिक्षेत्र गोरखपुर वी. के. शुक्ला के द्वारा चीनी मिल पिपराइच

चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों, गंगा बुवाई हेतु मिलों द्वारा जारी बजट के सापेक्ष डेडिकेटेड अकाउंट के व्यय आदि कि गहन

बुवाई व अस्वीकृत प्रजाति के विस्थापन में लापरवाही बरतने, निर्धारित लक्ष्य का पूरा न करने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। चीनी मिलों द्वारा भी किसानों का गन्ना फसल हेतु दी जा रही विविध सहायता कि समीक्षा की गयी। चीनी मिल अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि गन्ना बुवाई हेतु किसानों से निरंतर संवाद करें, उन्हें चीनी मिल द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराये। समीक्षा बैठक में उप गंगा आयुक्त गोरखपुर यशपाल सिंह, देवरिया ए. पी. सिंह, जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर, महाराजगंज, बरती, कुशीनगर, देवरिया, प्रधान प्रबंधक (गन्ना) चीनी मिल पिपराइच व मुंडेरवा, चीनी मिल बभनान, सिस्वा बाजार के प्रतिनिधि, संभागीय विस्थापन अधिकारी, परिक्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलों का गन्ना आपूर्ति क्षेत्र के समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना समितियों के सचिव आदि उपस्थित रहे।

## शहर में सीएम ग्रिड एक नजर में

गोरखपुर, २० अप्रैल। गरीबना क्षेत्र को तीन सुदृढ़, स्वीकृत धराराशि 44 करोड़, भौतिक प्रगति कार्य 90 प्रतिशत से अधिक। छात्रसंघ चौक से अंबेडकर चौक होते हुए शास्त्री चौक, शिवाय होटल से विजय चौक होते हुए गणेश चौक, कालीमंदिर से गोलघर होते हुए कचहरी चौक, ऐराज तिराहा से अंबेडकर चौक, हरिओम नगर तिराहा से होटल शिवाय। स्वीकृत धराराशि 53.68 करोड़ रुपये, भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत से अधिक। गणेश चौक से विश्वविद्यालय चौक एवं अलंकार ज्वेलर्स से रायपी स्कूल, डीएम आवास होते हुए हरिओम नगर तिराहा तक। स्वीकृत धराराशि 45.68 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में। स्पॉट्स कॉलेज रोड से जयमवाला रोड होते हुए पुलिस थाना। स्वीकृत धराराशि 23.43 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में। कचहरी चौक से शास्त्री चौक होते हुए बैतियाहाला चौक तक। स्वीकृत धराराशि 21.60 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में बैतियाहाला चौक से अलहादपुर तिराहा, टीडीएम तिराहा से टीपीनगर तक एवं रैन बसरोड से एम्प्ले 28 तक। स्वीकृत धराराशि 63.97 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में। टीडीएम तिराहा से पांडेयहाला पुलिस चौकी होते हुए बरफखाना रोड से हार्बर्ट बंधा तक। स्वीकृत धराराशि 62.09 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में। अलहादपुर तिराहा से रायगंज होते हुए घंटाघर तक। स्वीकृत धराराशि 25.45 करोड़ रुपये। निविदा प्रक्रिया में।

## बसंतकालीन गन्ना बुवाई लक्ष्यों के सापेक्ष करें शत-प्रतिशत पूर्ति-शुक्ला

गोरखपुर, २० अप्रैल। आज अपर गंगा आयुक्त (विकास) नोडल अधिकारी परिक्षेत्र गोरखपुर वी. के. शुक्ला के द्वारा चीनी मिल पिपराइच

समीक्षा कि गयी। लक्ष्यों का शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। चेतवानी दी गयी कि गन्ना

बुवाई व अस्वीकृत प्रजाति के विस्थापन में लापरवाही बरतने, निर्धारित लक्ष्य का पूरा न करने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। चीनी मिलों द्वारा भी किसानों का गन्ना फसल हेतु दी जा रही विविध सहायता कि समीक्षा की गयी। चीनी मिल अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि गन्ना बुवाई हेतु किसानों से निरंतर संवाद करें, उन्हें चीनी मिल द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराये। समीक्षा बैठक में उप गंगा आयुक्त गोरखपुर यशपाल सिंह, देवरिया ए. पी. सिंह, जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर, महाराजगंज, बरती, कुशीनगर, देवरिया, प्रधान प्रबंधक (गन्ना) चीनी मिल पिपराइच व मुंडेरवा, चीनी मिल बभनान, सिस्वा बाजार के प्रतिनिधि, संभागीय विस्थापन अधिकारी, परिक्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलों का गन्ना आपूर्ति क्षेत्र के समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना समितियों के सचिव आदि उपस्थित रहे।

## विधायक की सादगी बनी मिसाल

गोरखपुर, २० अप्रैल। समरसता केवल बैनर या भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। वर्षों

गोरखपुर, २० अप्रैल। समरसता केवल बैनर या भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। वर्षों

गोरखपुर, २० अप्रैल। समरसता केवल बैनर या भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। वर्षों

गोरखपुर, २० अप्रैल। समरसता केवल बैनर या भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। वर्षों



बाद ऐसा ही एक नजारा गोरखपुर शहर के जिला परिषद रोड पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर देखने को मिला। जिसने यह दृश्य देखा, उसने समस्त एक स्वर में कहा— जनप्रतिनिधि इसी को कहते हैं। आपकी बत्ता दें कि बलिया जिले की बेलथरा रोड सीट से विधायक हंशु

की तरह अपनी सरकारी गाड़ी किनारे खड़ी कर वे इसी रोड पर किसी भी दुकान पर बैठकर चाय पीते थे और देश-दुनिया के साथ शहर की समस्याओं पर चर्चा कर जरूरतमंदों की मदद करते थे। आज विधायक होने के बावजूद, वे बिना किसी तामझाम के एक

साधारण व्यक्ति की तरह अपने पुराने मित्र और बसपा नेता ओम नारायण पांडेय से तामाम लोगों के बारे में चर्चा की। वहीं मौजूद दुर्गेश बजाज से परिचय होने पर हंशु राम जी भाबुए के लिए और बोले—आज मुझे आपके पिता स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की याद आ गई।

विधायक चन्द्र द्वारा ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड के लिए ज्ञानमण्डल वितरण ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड लाइवडी बिल्डिंग बैंकरोड, गोरखपुर से मुद्रित एवं ज्ञानमण्डल लिमिटेड लाइवडी बिल्डिंग बैंक रोड गोरखपुर से प्रकाशित

**सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त**  
अधिकारिता: अखिलेश चन्द्र  
व्यापार: सन्त कबीर रोड  
पत्रागार: ३, लीड रोड  
कानपुर: बांसगंजी  
लखनऊ: १, जयलिंग रोड  
आगरा: महामा गांधी रोड  
बरेली: रोड नं.-३, परसाखड़ा  
पटना: फ्रेंच रोड  
रंची: नामकुम ईंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर: कालीमाटी रोड  
पंजीवन संख्या-आर.एन. ३८७०/८१  
दूरभाष: २२०१८७६  
फैक्स: २३३१२१२  
e-mail: goraokhpur@yahoo.com  
aigorokhpur@gmail.com  
पी.आर.बी. अधिनियम के अन्तर्गत समाचार चयन के लिए स्थानीय सम्पादक जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद गोरखपुर न्यायालय के अधीन होगा।  
**पाठकों से**  
'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वतः जांच करके कार्य करें। इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।  
प्रबंधक



## डांडी खास के दो होनहारों ने बढ़ाया क्षेत्र का मान, आईएस बनकर करना चाहते हैं देश सेवा



डांडी, गोरखपुर। गोला तहसील के ग्राम सभा डांडी खास के दो मेधावी बच्चों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अभ्युदय पब्लिक स्कूल,

## डा. रमा रानी जैसवाल बनी माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट महिला प्रकोष्ठ की जिला संरक्षक

(संवाददाता) गोरखपुर। जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह द्वारा डॉ रमा रानी जैसवाल पूर्व प्रधानाचार्य डी ए वी गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर का मनोनयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गोरखपुर महिला प्रकोष्ठ के जिला संरक्षक के पद पर किया गया।

संघ के प्रांतीय मंत्री डॉ अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि डॉ रमा रानी जी के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ महिला शिक्षिकाओं के हितों के लिए कार्य करेगा। डॉ रमा रानी जी ने विश्वास दिलाया कि वह महिला

## निःशुल्क मिनीकित एवं रियायती

### दरों पर बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू

गाजीपुर (सूवि०)। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया है कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निःशुल्क मिनीकित एवं रियायती दरों पर बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषक भाईयों को अवगत कराना है कि 22 अप्रैल, 2026 से विभाग की अधिकारिक वेबसाइट [www.agriculture.up.gov.in](http://www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

## पूर्वांतर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना: NER-LJN-2026-70 & 71

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबन्धक/ईजीनियरिंग/पूर्वांतर रेलवे/लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन 'खुली' ई-निविदाओं आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण नीचे निम्नवत है:-

**क्रम सं-01**, ई-निविदा संख्या: NER-LJN-2026-70, कार्य का नाम: वरिष्ठ मण्डल इंजी०/द्वितीय के अनुभाग में लेवल क्रॉसिंग सड़कों की मरम्मत का प्रावधान। अनुमानित लागत (₹): 77,03,003.66, अग्रिम धन (₹): 1,54,100/-, समापन अवधि: 06 माह।

**क्रम सं-02**, ई-निविदा संख्या: NER-LJN-2026-71, कार्य का नाम: वरिष्ठ मण्डल इंजी०/द्वितीय के अनुभाग में बाउंड्री/फेंसिंग की मरम्मत, U/S PSC स्लीपर का उपयोग करके सी०आर०ओ०, एम०आर०ओ०, अतिक्रमण एवं ट्रेपसिंग को रोकने का प्रावधान। (कुल लंबाई 09 किमी), अनुमानित लागत (₹): 2,33,68,937/-, अग्रिम धन (₹): 4,67,400/-, समापन अवधि: 09 माह।

(1) उपरोक्त ई-निविदा संख्या NER-LJN-2026-70 & 71 के लिये ई-निविदा दिनांक 14-05-2026 को 15:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है तथा उसी दिन समय 15:00 बजे के बाद ई-निविदा खोली जायेगी। (2) उपरोक्त ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना, निम्नतम अर्हता, नियम एवं शर्तों का पूर्ण विवरण पूर्वांतर रेलवे के वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदाकार ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई-निविदा सूचना से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धि पत्र (यदि कोई हो तो) को भी सञ्चान में लेना सुनिश्चित करें।

**मण्डल रेल प्रबन्धक/ईजीनियरिंग, मुजाधि/डब्ल्यू-41 लखनऊ**

गाँवियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

दोनों बच्चे अपने बाबा स्वर्गीय रामबिलास गुप्त को अपना आदर्श मानते हैं, जो आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज काकरही से अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। इनके शानदार परिणाम से क्षेत्र और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है।

बड़ा होकर आईएस बनने का सपना संजोए इन दोनों बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, विद्यालय परिवार एवं अन्य सहयोगियों को दिया है। उनका कहना है कि देश सेवा ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है।

इस उपलब्धि पर भाजपा के पुर्व मण्डल उपाध्यक्ष रोहित रमण गुप्त, पवन सिंह, नरेंद्र गुप्त, राकेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अशोक गुप्त, सुरेश यादव, संगम यादव, साधु यादव, डिंपी यादव एवं ग्राम प्रधान राजू यादव ने दोनों बच्चों की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी।

## डीएम ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया स्थलीय निरीक्षण

महराजगंज (सू०वि०)। जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा द्वारा आगामी 25, 26 एवं 27 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 परीक्षा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेना तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित कराना रहा।

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय



बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक



जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक




जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक




जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक




जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एम्बुलेंस की पहुंच एवं रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेलावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। विशेष रूप से

## डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक



जिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारकार्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न संकेतकों की उपलब्धता एवं गुड सेमैरिटन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर विषय

## बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई को

बस्ती (सू.वि.)। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 मई 2026 को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निदेशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिकवादों का निस्तारण किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलों, बैंक वसूली से संबंधित मामलों, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्येज एग्रीमेन्ट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलभ-समझौते के आधार पर हो सकता है, को अधिक से अधिक संख्या में नीयत कर निस्तारित किया जायेगा।

## गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित

बस्ती (सू.वि.)। गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, कवि, लेखक या शिक्षा के क्षेत्र में, सिविल सेवा, खेल व अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट उपलब्धि, योगदान एवं सेवा के लिए संबंधित महानुभाव/महानुभावों का आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए संस्तुतियों सहित उपलब्ध कराये। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा किया है कि उक्त उपाधियों के लिए महानुभाव/महानुभावों का नाम ऑनलाइन प्रस्तावित कराते हुए अपनी सुस्तुतियों निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में उनके कार्यालय को 10 जून 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

## विकास कार्यों की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक 28 को

बस्ती (सू.वि.)। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक 28 अप्रैल 2026 को मध्याह्न 12 बजे से आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित किया जायेगा। उक्त जानकारी संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने दी है।

## राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई को

गाजीपुर (सू०वि०)। माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में दिनांक 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में दिनांक 23.04.2026 को अपराह्न 01.00 बजे आयोजित की गयी है।

## पूर्वांतर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना: NER-LJN-2026-70 & 71

## पूर्वांतर रेलवे

ई-आव्हान सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वांतर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाओं से सम्बंधित सूचना।

एडमिन सूट/जोस: लखनऊ-पू०उ०रे० मण्डल-वाणिज्य/पू०उ०रे०, नीलामी सूची सं०/लॉट सं०: Catg-LJND-06-26, नीलामी सूची प्रकाशन तिथि: 17-04-2026 समय: 19:39 बजे, नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट): 04-05-2025 समय 12:00 बजे। नीलामी बन्द करने की तिथि व समय: 04-05-2026 समय 12:50 बजे। नीलामी का प्रकार: Close Ended, वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलौदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है: E-Auction Module of [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, मुजाधि/वाणिज्य-18 लखनऊ

द्वेषों में बीड़ी/सिगरेट न पियें।

## बिना अनुमति काटा गया

100 साल पुराना पीपल का पेड़, मंदिर समिति में आक्रोश

वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र स्थित अति प्राचीन सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिसर में करीब 100 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष बिना अनुमति काटे जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मंदिर समिति के अनुसार, यह पीपल का पेड़ धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, जहाँ प्रत्येक शनिवार को श्रद्धालु शनिदेव की पूजा-अर्चना करते थे। ऐसे में पेड़ की कटाई से लोगों का बचनएं आहत हुई हैं। आरोप है कि स्थानीय व्यक्ति चंद्रशेखर सेठ ने बिना किसी पूर्व अनुमति या सूचना के निजी मजदूरों को बुलाकर पेड़ की मोटी-मोटी शाखाएं कटवा दीं।

## उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, मोहददीपुर, गोरखपुर

ई-निविदा सूचना दिनांक: 23.04.2026

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. अल्पकालीन ई-निविदा रा०-03/वि०रे०ख०-प्र०(गो०)/2026-27 :- विद्युत प्रेषण खण्ड प्रथम गोरखपुर के अन्तर्गत 132 के०वी० उपकेंद्र कसया, कुशीनगर पर 40 एम०वी०ए० परिवर्तक के क्षमतावृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के सामग्री की दुलाई एवं लगाने सम्बन्धी आवश्यक कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क रू० 590.00 एवं धरोहर धनराशि रू० 2000.00 मात्र।

ई-निविदा की अन्तिम तिथि - 06.05.2026, समय 17:00 बजे।

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रतर समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

"राष्ट्रिय में बिजली बचाएँ"

अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम मोहददीपुर-गोरखपुर

पत्रांक: 458-वि०प्र०ख०प्र०(गो०)/टी-14 दिनांक: 23.04.2026

## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज

ई-निविदा शुद्धि पत्र सूचना दिनांक: 23.04.2026

शुद्धि पत्र

1. ई-निविदा संख्या 2 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय आनन्दनगर।

2. ई-निविदा संख्या 3 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड-नौतनग।

3. ई-निविदा संख्या 3 में अंकित विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम महाराजगंज के स्थान पर विद्युत वितरण खण्ड-निचलौल।

पढ़ा, लिखा एवं समझा जाये।

शेष नियम एवं शर्तें रथावत रहेंगी।

"राष्ट्रिय में बिजली बचायें"

(वाई०पी० सिंह) अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक: 685/वि०यि०मि०(मह०)/ दिनांक: 23.04.2026